FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर. मुकाम....खींवसर...

नरेन्द्रकुमार बनाम रामनारायण

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

मु. नं..... 64 .सन्..2015

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज **09.07.2020**	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान उप0। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान को प्राप्त तहसीलदार खींवसर से बंटवाड़ा स्कीम को पढकर समझाया गया । विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने उक्त बंटवाड़ा को सही होना स्वीकार किया तथा इसी अनुसार दावा डिक्री करने हेतु पक्षकारान ने अपनी सहमति जाहीर की, और इसी अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार खींवसर से प्राप्त बंटवाड़ा स्कीम अनुसार निम्नानुसार दावा डिक्री किया जाता है।

1. वादी श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी खींवसर के बंट व कब्जा काश्त में :–
   मौजा खींवसर के खेत ख.न. 758 रकबा 126.16 बीघा में से रकबा 10.11 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित की जाती है।
2. वादी श्री दिनेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश वादी संख्या 1 व 2 नाबलिग जरिये सरंक्षक माता लक्ष्मीदेवी पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी खींवसर के बंट व कब्जा काश्त में :– मौजा खींवसर के खेत ख.न. 758 रकबा 126.16 बीघा में से रकबा 10.12 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित की जाती है।
3. वादी श्री विनोदकुमार पुत्र भंवरलाल के बंट व कब्जा काश्त में :–
   मौजा खींवसर के खेत ख.न. 758 रकबा 126.16 बीघा में से रकबा 70.02 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित की जाती है।
4. प्रतिवादी श्री रामनारायण के बंट व कब्जा काश्त में :–
   मौजा खींवसर के खेत ख.न. 758 रकबा 126.16 बीघा में से रकबा 10.11 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित की जाती है।
5. प्रतिवादी श्री मोहनराम, बुधाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नागड़ी के बंट व कब्जा काश्त में :–
   मौजा खींवसर के खेत ख.न. 758 रकबा 126.16 बीघा में से रकबा 24.00 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित की जाती है।
6. प्रतिवादी श्री चम्पालाल पुत्र जेठाराम जाति हिन्दूतेली (घांची) निवासी खींवसर के बंट व कब्जा काश्त में :–

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

मौजा खींवसर के खेत ख.न. 758 रकबा 126.16 बीघा में से रकबा 01.00 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित की जाती है।

उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो आदेश की पालना की जावें। अगर किसी भी बैंक में उपरोक्त खसरा रहन हो तो रहन मुक्त होने तक रहन यथावत रहेगें। स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत होने पर डिकी पर्चा जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

(राजकेश मीना RAS)
सहायक कलक्ट्रर
खींवसर